

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रे० मि० केस सं०-०४ / २०२३-२४

कुन्दन वर्मा बनाम् बैजनाथ वर्मा वगै०


—: आदेश :-


वर्तमान वाद आवेदक कुन्दन वर्मा, पे०-महेश प्रसाद वर्मा, साकिन-माल मंडरो, थाना व अंचल-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा द्वारा समर्पित आवेदन, जो मौजा-माल मंडरो, नं०-२१०, जमाबंदी नं०-१३५, दाग नं०-२७५ आंशिक रकवा ००-०१-०३ धूर भूमि विपक्षी (१) बैधनाथ वर्मा, पे०-रव० अशर्फी वर्मा, (२) रवि राजा वर्मा, पे०-बैजनाथ वर्मा, (३) मनोज वर्मा, पे०-रव० छोटेलाल वर्मा, साकिन-माल मंडरो थाना व अंचल-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा से संबंधित है, के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ किया गया। तदनुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिकारियों को सुनने, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक-२५३/रा०, दिनांक-१७.०५.२०२३ द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त पाया कि उभय पक्ष एक ही जमाबंदी रैयत के वंशज है तथा कैफियत कॉलम के दखल वयारी में अलग-अलग जमाबंदी रैयत का नाम अंकित है।

अतः अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी को आदेश दिया जाता है कि पर्चा के कैफियत कॉलम में अंकित दखल अनुसार कब्जा दिलाना सुनिश्चित करेगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


१०.०६.२३
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


१०.०६.२३
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

seen
17/6/23